

पत्र संख्या-आई0टी0-जी0एस0टी0 टर्न ओवर मार्किंग / 2020-21 / 609 / वाणिज्य कर प्रेषक,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:: दिनांक:: 19 अक्टूबर 2020

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-593 दिनांक 14.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि विधि अनुभाग के पत्र संख्या-430 दिनांक 19.11.2018 के क्रम में जारी किया गया है। पत्र में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत खण्ड में उपायुक्त/सहायक आयुक्त / वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर व्यापारियों के टर्न ओवर के आधार पर विभाजन के सम्बंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त संदर्भित पत्र संख्या-593 दिनांक 14.10.2020 के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश पत्र संख्या-229 दिनांक 30.05.2019 अंकित हो गया है जबकि वास्तव में पत्र सं0 229 दिनांक 03.05.2019 है। अतः उक्त पत्र संख्या 229 दिनांक 30.05.2019 के स्थान पर पत्र संख्या-229 दिनांक 03.05.2019 पढ़ाये। अतः अनुरोध है कि शेष कार्यवाही कार्यालय पत्र संख्या-593 दिनांक 14.10.2020 के अनुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अरविन्द कुमार )

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (आई0टी0) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।